न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या– 506/2023
वाद पत्र अंतर्गत धारा– 88,53 आर.टी.ए.

सुभाष पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-- वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. सरोज पुत्री श्री हजारीराम पत्नी श्री जोतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा हाल निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. विजय पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. जोतराम पुत्र श्री सुलतान राम जाति जाट निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. रोशनी देवी पत्नी श्री लालचंद उर्फ जगराज सिहं जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-- प्रतिवादीगण

उपस्थित–
1. श्री भीम पारीक – वकील वादी
2. श्री अनिल भोबिया– वकील प्रतिवादीगण 1 ता 4
3. राज पैरोकार, तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 5

निर्णय **दिनांक–** 30.04.2024

वादी सुभाष ने यह वाद पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के खिलाफ बाबत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से संगरिया तहसील के चक 15 पी.टी.पी. के खाता संख्या 90/62 जमाबंदी संवत 2073–2076 में **2.783 है.** अर्थात 11 बीघा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज समस्त कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 को विरासतन प्राप्त कृषि भूमि है जिसका घरेलू विभाजन हो चुका है। मुताबिक घरेलू विभाजन वादी को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई–

वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि–

चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या [illegible]		
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
116/145	25	7,8,9,12,13,[illegible] 253 है.प्र.। कुल 2.783 है. नहरी कृषि भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

लगातार – 2

... कलक्टर एवं
...ण्ड अधिकारी
...गरिया

इसके अलावा वादी के पिता के नाम से पीलीबंगा तहसील में अन्य कृषि भूमि है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काबिज है। वादी को घरू विभाजन में प्राप्त उक्त कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वह मन लगाकर खेती नहीं कर पा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार से रिपोर्ट आने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का विरोध नहीं किया गया। प्रतिवादीया संख्या 4 का जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश हुआ जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। मुताबिक काउंटर क्लेम प्रतिवादीया संख्या 4 ने निम्न प्रकार से अनुतोष चाहा-

प्रतिवादीया संख्या 4 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि-

चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 90/62 ज.स. 2073-76		
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
116/140	4	25/1/0.228 है. नहरी, 25/2/0.025 है.खाला। कुल 0.253 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

प्रतिवादी संख्या 5 राज पैरोकार की तरफ से स्टेट जवाब पेश हुआ जिसमें राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तहसील संगरिया के राजस्व चक 15 पीटीपी के खाता संख्या 90/62 जमाबंदी संवत 2073-2076 जमाबंदी पेश है जो प्रदर्श 1 है। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने वाद पत्र में वर्णनानुसार, वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिसका प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने विरोध नहीं किया एवं प्रतिवादीया संख्या 4 का काउंटर क्लेम डिक्री करने का अनुरोध किया जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने विरोध नहीं किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया है, इसलिये तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है एवं वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि- **(क) वादी सुभाष**

चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 90/62 ज.स. 2073-76		
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
116/145	25	7,8,9,12,13,14,17,18,19,23,24/0.253 है.प्र.। कुल 2.783 है. नहरी कृषि भूमि।

(घ) प्रतिवादीया संख्या 4 रोशनी देवी -

चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या [illegible]		
प.नं.	मु.नं.	[illegible]
116/140	4	25/1/0.228 है. [illegible] कुल 0.253 है. [illegible] भूमि।

कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

लगातार -3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रेहन होने की स्थिति में बैंक रेहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगें। पत्रावती बाद तरतीब तकमीत नंबर से कम किया जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.06 17:23:09 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रकिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 506/2023

वाद पत्र अंतर्गत धारा- 88,53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

सुभाष पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-- वादी

बनाम

1. सरोज पुत्री श्री हजारीराम पत्नी श्री जोतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा हाल निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
2. विजय पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. जोतराम पुत्र श्री सुलतान राम जाति जाट निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. रोशनी देवी पत्नी श्री लालचंद उर्फ जगराज सिहं जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक-

यह राजस्व मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री भीम पारीक वकील** वादी मैन जामिन मुदई व श्री अनिल भोबिया वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि **वादी सुभाष** -

चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 90/62 ज.स. 2073-76		
		कि.नं.
प.नं.	मु.नं.	7,8,9,12,13,14,17,18,19,23,24/0.253 है.प्र.।
116/145	25	कुल 2.783 है. नहरी कृषि भूमि।

प्रतिवादीया संख्या 4 रोशनी देवी -

चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 90/62 ज.स. 2073-76		
		कि.नं.
प.नं.	मु.नं.	25/1/0.228 है. नहरी, 25/2/0.025 है.खाला।
116/140	4	कुल 0.253 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

आराजी बैंक के पक्ष में रेहन होने की स्थिति में बैंक रेहन ... मु... होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ... X निल....X ख... मुकदमें के निज....X.. निल......मुब्लिक...X निल.....X ... मय शुद व शरह फीसदी सालाना आज ... अदा करेंगे। ... दिनांक .... को अदा करें। खर्चा पक्षकारान ... अदालत से ... बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर 30.04.2024..........को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी संगरिया।

सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी संगरिया